तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी मूल वाद संख्या 23/2023 शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29.10.2025

वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित।

योग्य अधिवक्ता वादी ने दिनांक 17.10.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या दो ने वादी के खातेदारी के 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में से आधा हिस्सा भूमि रुपए 1,20,00,000 में खरीद करने हेतु विक्रय इकरार दिनांक 19.03.2021 को निष्पादित करवाया था। उक्त विक्रय इकरार की नोटेरी से तस्दीक प्रति वादी को प्रदान की गयी है तथा मूल विक्रय इकरार प्रतिवादीगण के कब्जे व अधिकार में है। प्रतिवादीगण को इस न्यायालय के समक्ष अपने कब्जे, अधिकार या शक्ति, जो कि विक्रय इकरारनामे दिनांक 19.03.2021 से संबंधित है, को सशपथ प्रकट करने हेतु आदेश पारित किया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से "नो ऑब्जेक्शन" प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने वादी के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत है, तथा प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति न किए जाने से यह स्पष्ट है कि वे स्वयं भी उक्त तथ्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं। इस स्थिति में न्यायालय के मत में वादी की प्रार्थना उचित, न्यायोचित एवं स्वीकार्य प्रतीत होती है। **अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उनके कब्जे या शक्ति में मौजूद विक्रय इकरार दिनांक 19.03.2021 प्रस्तुत करे।**

वादी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी पत्रावली का पेश कर निवेदन किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के न्यायालय में लंबित पत्रावली क्रमशः 837/2023, 838/2023 व 840/2023 परिवादी शिवसिंह एजेन्सीस व अन्य बनाम अभियुक्त हिमांशु व अन्य तारीख पेशी दिनांक 31.10.2025 में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों को मूल प्रलेख साक्ष्य हेतु आवश्यकता है। अतः मूल पत्रावली संबंधित न्यायालय से तलब करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से "नो ऑब्जेक्शन" प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने वादी के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत है, तथा प्रतिवादीगण को उक्त पत्रावलियां तलब कर दस्तावेजात् प्रदर्शित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। **अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के न्यायालय में लंबित पत्रावली क्रमशः 837/2023, 838/2023 व 840/2023 परिवादी शिवसिंह एजेन्सीस व अन्य बनाम अभियुक्त हिमांशु व अन्य तलब की जावे।**

CJM SRH
745
29/10/25

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राजस्थान)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी मूल वाद संख्या 23/2023** **शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य**	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी संख्या एक की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी पत्रावली हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिरोही में लंबित प्रकरण संख्या 27/2021 दीवानी मूल वाद किशनसिंह बनाम लालसिंह में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों को मूल प्रलेख साक्ष्य हेतु आवश्यकता है। अतः मूल पत्रावली संबंधित न्यायालय से तलब करने का निवेदन किया। वादी की ओर से "नो ऑब्जेक्शन" प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या एक का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत है, तथा वादी को उक्त पत्रावली तलब कर दस्तावेजात् प्रदर्शित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। **अतः प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिरोही में लंबित प्रकरण संख्या 27/2021 दीवानी मूल वाद किशनसिंह बनाम लालसिंह तलब की जावे।** प्रतिवादी संख्या एक की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे के साथ अधिवक्ता का नोटिस दिनांक 22.04.2022, पोस्टल रसीद दिनांक 23.04.2022, प्राप्ति अभिस्वीकृति दिनांक 26.04.2022, अधिवक्ता का नोटिस दिनांक 11.05.2022, पोस्टल रसीद दिनांक 11.05.2022 व प्राप्ति अभिस्वीकृति की फोटोप्रति पेश की है। प्रतिवादी संख्या एक को अन्य प्रकरण में दस्तावेजों की आवश्यकता होने से वह उक्त दस्तावेजों को पेश नहीं कर सका और अब साक्ष्य में आवश्यकता होने से मूल दस्तावेजात् पेश कर रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। नकल वकील वादी को दिलायी गयी। वादी की ओर से "नो ऑब्जेक्शन" प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या एक का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत है, तथा वादी को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा उक्त मूल दस्तावेजात् प्रस्तुत कर रिकॉर्ड पर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। **लिहाजा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर आदेशितत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या एक मूल दस्तावेजात् पेश करे।** प्रतिवादी संख्या एक की ओर से फॉर्म नंबर 3 के साथ असल विक्रय इकरारनामा दिनांक 19.03.2021, जवाबदावे के साथ प्रस्तुत फोटो कॉपी दस्तावेजात् के मूल दस्तावेजात् आज पेश किए। शामिल मिसल हो।	ADJ SRH 7454 29/10/25 (मिसल चिट्ठी)

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राजस्थान)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी मूल वाद संख्या 23/2023** **शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दीवानी लिपिक द्वारा संबंधित न्यायालय से पत्रावलियां तलब की गयी, जो प्राप्त हुई। डी.ड.1 हिमान्शु पूर्बिया के बयान लेखबद्ध किए गए। दौराने साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावलियों के असल दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित किए गए। तलबिदा पत्रावलियों को अब कोई आवश्यकता नहीं है। दीवानी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की तलबिदा पत्रावलियां अविलंब संबंधित न्यायालय को आज ही भेजी जावे। **प्रतिवादी संख्या एक की ओर से आदेश दिनांक 08.10.2025 की पालना में कोस्ट राशि 1,000 वकील वादी को अदा की।** वकील वादी ने रिब्टल में साक्ष्य पेश करने का निवेदन किया, जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक **03.11.2025 को पेश हो।** जिला न्यायाधीश सिरोही (राजस्थान)	CJM SRH 747(1)-(3) 29/10/25 ADJ SRH 746 29/10/25 तलबशुदा पत्रावलियां प्रेषित की गयी